


श्री सुजीत कुमार, आई०ए०एस० मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा दिनांक 09-05-2015 को विकास खण्ड फिरोजाबाद के डा० राममनोहर लोहिया ग्राम कुर्रीकूपा में किए गये निरीक्षण/स्थलीय सत्यापन की टिप्पणी:



दिनांक 09-05-15 को अपराह्न 2.00 बजे निरीक्षण/स्थलीय सत्यापन के साथ-साथ ग्राम में चौपाल आयोजित कर जन समस्यायें सुनकर उनका निस्तारण किया गया। इस दौरान श्री रमेश चन्द्र, श्रम-आयुक्त मनरेगा, श्री गौरव गौतम, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, श्री दिनेश कुमार यादव, ए०डी०ओ०आई०एस०बी०, श्री सन्जीव कुमार जैन, सहायक विकास अधिकारी स०क०, श्री कप्तान सिंह, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, सहायक अभियन्ता (जलनिगम), सहायक अभियन्ता (जि०ग्रा०वि०अभि०), श्रीमती ऊषा गोस्वामी, बाल विकास विभाग, श्री साविर अली, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, श्री श्रीमती साधना देवी ग्राम प्रधान, विद्युत विभाग के अभियन्ता एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे। निरीक्षण में पायी गई स्थिति एवं कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है।

1-नाली/सी०सी०रोड- निरीक्षण के समय पाया गया कि सी०सी०रोड पर कुछ लोगो ने भैस व पालतु पशु बाँधने के लिये खूटें गाढ रखे है। रामचन्द्र के घर के सामने नाली में प्लास्टर नहीं हुआ है। जिससे पानी का रिसाव घरों की नाली के अन्दर होता है। यही हाल करन सिंह व फेजल अली के मकान के सामने भी है। अजयपाल के घर के सामने विवाद होने के कारण सी०सी० नहीं बन पायी है। अधिशासी अभियन्ता ग्रा०अ०से० फिरोजाबाद को निर्देशित किया जाता है कि त्रुटिपूर्ण कार्यों को 10 दिन में ठीक कराकर आख्या उपलब्ध कराये तथा विवादित स्थल पर उपजिलाधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी के सहयोग से विवाद का निस्तारण कराते हुए कार्यपूर्ण कर आख्या प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता ग्रा०अ० से०विभाग/एस०डी०एम०/ख०वि०अधिकारी)

2—पेयजल व्यवस्था

बताया गया ग्राम में पेयजल व्यवस्था हेतु हैण्डपम्प लगे हैं। जिनमें से 36 हैण्डपम्प रिबोर योग्य है। अधिशासी अभियन्ता जलनिगम को निर्देशित किया जाता है कि रिबोर योग्य हैण्डपम्पों को तत्काल ठीक कराने की कार्यवाही करें। पानी की एक बड़ी टंकी स्थापित हैं। जिसकी मोटर खराब होना बताया गया। यह भी बताया गया कि मोटर सही करवाने के लिये भिजवा दी गई है, परन्तु ग्राम वासियों द्वारा स्वयं अवगत कराया गया कि ग्राम के लोगों द्वारा पानी के कनेक्शन नहीं लिये गये हैं तथा ग्राम में किसी जल प्राबन्धन समिति का गठन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में ग्राम वासियों द्वारा लिए गये कनेक्शन अवैध है। उनके द्वारा मासिक निश्चित धनराशि भी जमा नहीं करायी जा रही है। परिलक्षित हुआ कि इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान ने अपने उत्तर दायित्व का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत अधिकारी को चेतावनी देते हुए निर्देशित किया जाता है कि सभी को नियमानुसार कनेक्शन नियमित प्रदान करें एवं प्रतिमाह जलशुल्क निर्धारित कर सम्बन्धित से वसूली सुनिश्चित की जाय। साथ ही जल प्राबन्धन समिति गठित करते हुए अनुपालन आख्या 10 दिन में प्रस्तुत की जाय। यदि कोई व्यक्ति जबरदस्ती अवैध कनेक्शन कराता है तो ऐसे लोगों की सूची खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से तत्काल प्रस्तुत की जाय। ताकि समुचित कार्यवाही की जा सकें। खण्ड विकास अधिकारी 15 दिन बाद ग्राम में अनुपालन की समीक्षा की आख्या प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाही— खण्ड विकास अधिकारी)

3—ऑगनबाड़ी केन्द्र भवन—

ऑगनबाड़ी भवन का निर्माण ग्राम पंचायत में हो रहा है। निरीक्षण में पाया गया कि उसकी गुणवत्ता खराब है। जिला कार्यक्रम अधिकारी/समाज कल्याण निर्माण निगम उसे ठीक करवाना सुनिश्चित करें। सहायक अभियन्ता जि०ग्रा०वि०अभिकरण स्थल पर जाकर निरीक्षण करेंगे तथा वस्तुस्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराते हुये निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनाये रखने में सहयोग प्रदान करेंगे।

(कार्यवाही परियोजना प्रबन्धक स०क० नि० नि०/जिला कार्य० अधि०)

4—विद्युतिकरण

— ग्राम में विद्युतिकरण की स्थिति सन्तोषजनक पायी गई। ग्राम वासियों ने अवगत कराया कि बिजली सही आती है।

5—स्वच्छ शौचालय—

ग्राम भ्रमण में कई शौचालयों के दरवाजों में अभी से जंग लग गई है। शौचालय निर्माण की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। कुछ शौचालयों का उपयोग हो रहा था। ग्रा०पं० सचिव को निर्देशित किया गया है कि तत्काल शौचालयों पर दरवाजों को बदलवाना सुनिश्चित करें। खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह 10 दिन बाद स्वयं ग्राम भ्रमण कर निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा कर अवगत करायें।

(कार्यवाही खण्ड विकास अधिकारी)

6—आवास—

लोहिया आवास निर्धारित मानक/नक्शा के अनुसार नहीं बनाये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि आवास निर्माण के समय सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ग्राम में भ्रमण कर लाभार्थियों का मार्ग दर्शन करने का अभाव रहा है। खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त कर आपनी आख्या सहित एक सप्ताह में उपलब्ध करायेंगे। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बताया गया कि 1 आवास की धनराशि अभी प्राप्त नहीं हुयी है। खण्ड विकास अधिकारी अपने स्तर से समीक्षा कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे कि आवास की धनराशि आने में विलम्ब का कारण क्या है?

(कार्यवाही खण्ड विकास अधिकारी)

7—तालाब—

ग्राम के बीच में एक तालाब हैं जिसमें अत्यधिक गन्दगी थी। ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान

को निर्देशित किया गया कि वह आपसी सहयोग से जे0सी0बी द्वारा तालाब की गन्दगी साफ करवायेंगे। तत्पश्चात तकनीक सहायक इनलेट-आऊटलेट सहित तालाब सौन्दर्यीकरण का प्राक्कलन बनाकर प्रस्तुत करेंगे। खण्ड विकास अधिकारी सुनिश्चित करें कि तालाब के सौंदर्यकरण का कार्य समय पर समुचित वृक्षारोपण कराकर सुनिश्चित किया जाय।

प्राथमिक विद्यालय के पास तालाब में जलकुम्भी भरी हुयी है। प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी को निर्देशित किया गया कि 10 दिन में जलकुम्भी निकलवाकर अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। बताया गया कि एक नाले का निर्माण पूर्व में तालाब का पानी निकलवाने के लिये करवाया गया था जिसमे पुलिया के पास विवाद की स्थिति है। जिससे पानी की निकासी दूसरे तालाब तक नहीं हो पा रही है। एस0डी0एम मौका स्थल पर जाकर विवाद को निस्तारित करवायेंगे। खण्ड विकास अधिकारी उप जिलाधिकारी से सम्पर्क कर इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही कराते हुए कार्य पूर्ण करायें।

(कार्यवाही एस0डी0एम0 / ख0वि0अ0)

8- बेसिक शिक्षा- ग्राम पंचायत में 8 विद्यालय हैं। चौपाल में उपस्थित ग्रामीणजनों से जानकारी करने पर बताया गया कि बच्चों को कितावें तथा ड्रेस मिली थी एवं मिडडे मील का वितरण भी हुआ था। पठन पाठन के विषय में जानकारी करने पर बताया गया कि शिक्षक विद्यालय में आते थे और बच्चों का पढाते भी थे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि नवीन सत्र में वह विद्यालयों का निरीक्षण कर शिक्षण व्यवस्थाओं की समीक्षा अवश्य करें।

(कार्यवाही- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी)

9- आंगनबाड़ी केन्द्र बताया गया कि एन0एन0एम0 द्वारा टीकाकरण किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केन्द्र में कुल 569 बच्चे पंजीकृत हैं। इनमें से 165 बच्चे कुपोषित हैं तथा 28 बच्चे अतिकुपोषित हैं। किशोरी बालिकाओं का हिमोग्लोबिन टेस्ट नहीं किया जा रहा है। जिला अर्थ एवं सौख्याधिकारी द्वारा यह गाँव गोद लिया गया है। जिला अर्थ एवं सौख्याधिकारी, कृपया देखें और कुपोषित/अतिकुपोषित बच्चों को एम0ओ0आई0सी0 के सहयोग से कुपोषण से मुक्ति प्रदान करने हेतु पर्याप्त चिकित्सा सुविधा एवं पोषाहार प्रदान कराते हुए समुचित कार्यवाही अपनी देखरेख में सुनिश्चित करायें। इस सम्बन्ध में किसी भी स्तर पर उदासीनता की स्थिति हो तो तत्काल अवगत कराते हुए समुचित कार्यवाही अपेक्षित है।

10-एन0आर0एल0एम0- एक समूह का गठन किया गया है रूवी द्वारा बताया गया कि वह समूह में रहकर सिलाई का कार्य करती है। उनके द्वारा इच्छा जाहिर की गयी की उन्हें व उनकी साथी महिलाओं को ट्रेनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करायें। खण्ड विकास अधिकारी सुनिश्चित करें कि ब्लॉक स्तर से सहायक विकास अधिकारी आई0एस0बी0 व अन्य के द्वारा समूह की महिलाओं को उनके कार्य के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्राप्त कराया जाय।

(कार्यवाही खण्ड विकास अधिकारी)

11-कौशल विकास मिशन- बताया गया कि योजनान्तर्गत 23 लोगो की ट्रेनिंग हुई है। कौशल विकास मिशन अन्तर्गत और अधिक प्रभावी ट्रेनिंग की आवश्यकता है तथा ट्रेनिंग के अनुरूप ही व्यक्ति को कार्य उपलब्ध करवाने में सहयोग की आवश्यकता है। महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। इच्छुक पात्र युवक एवं युवतियों के आवेदन पत्र आदि भरवाकर खण्ड विकास अधिकारी जिला उद्योग केन्द्र को उपलब्ध करायेंगे।

(कार्यवाही- महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र / खण्ड विकास अधिकारी)

12-पेंशन- विकास खण्ड स्टाफ द्वारा बताया गया कि समाजवादी पेंशन के अन्तर्गत 100 पात्र लाभार्थियों के फार्म भरे जा चुके हैं। परन्तु ग्राम वासियों द्वारा अवगत कराया गया कि धनराशि अभी नहीं आयी है। विधवा पेंशन

के अन्तर्गत कई विधवाओं के खाते नहीं खुले हैं। निर्देशित किया गया कि सचिव व प्रधान सहयोगात्मक रूख अपनाते हुये खाते जल्द से जल्द खुलवायेंगे। विकलांग पेंशन में कई पात्र लाभार्थियों को पेंशन इसलिये प्राप्त नहीं हो रही है क्योंकि उनका विकलांगता सर्टिफिकेट नहीं बना है। खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) को गांव में भेजकर पात्र लाभार्थियों के विकलांगता सर्टिफिकेट बनवाने सम्बन्धी जानकारी उन्हें उपलब्ध करायेंगे तथा सर्टिफिकेट बनवाने में उनका सहयोग करते हुए पेंशन फार्म की औपचारिकार्यें पूर्ण कराते हुए आवेदन पत्र विकलांग कल्याण विभाग को भिजवाने की कार्यवाही करें।

(कार्यवाही- खण्ड विकास अधिकारी)

मुख्य समस्यायें- ग्राम वासियों द्वारा निम्नांकित तीन मुख्य समस्याओं से अवगत कराया गया।

1. खाद गोदाम की सोसायटी रूपसपुर में है इसलिये खाद वितरण सर्वप्रथम रूपसपुर के ग्रामीणों में हो जाता है तथा ग्राम कुरीकूपा के ग्रामीणों को खाद उचित मात्रा में नहीं मिल पाती है। जिला कृषि अधिकारी इसे देखें और यदि समस्या है तो न्यायोचित कार्यवाही करते हुए समाधान सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही जिला कृषि अधिकारी)

2. ग्राम में कोई बैंक नहीं है। जिससे ग्राम वासियों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पडता है। अतः एक बैंक की स्थापना ग्राम में किए जाने की मांग की गई। लीड बैंक प्रबन्धक कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करायें।

(कार्यवाही जिला लीड बैंक प्रबन्धक)

3. ग्राम में कई जगह अवैध कब्जे हैं तथा कई रास्तो पर अतिक्रमण है। एस0डी0एम0 फिरोजाबाद को निर्देशित किया जाता है कि वे स्वयं ग्राम में आकर मौका-मुआइना करें तथा यदि अतिक्रमण की स्थिति हो तो अतिक्रमण हटवाते हुए समुचित कार्यवाही कर अवगत करायें।

(सुजीत कुमार)

मुख्य विकास अधिकारी
फिरोजाबाद।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद।

पत्रांक 39/एस0टी0

दिनांक 29-5-15

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

- 1- आयुक्त, आगरा मण्डला आगरा को कृपया अवलोकनार्थ।
- 2- जिलाधिकारी फिरोजाबाद को कृपया अवलोकनार्थ।
- 3- उप जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा फिरोजाबाद।
- 5- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फिरोजाबाद।
- 6- महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र फिरोजाबाद।
- 7- सहायक अभियन्ता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण फिरोजाबाद।
- 8- जिला कृषि अधिकारी, फिरोजाबाद।
- 9- लीड बैंक प्रबन्धक, फिरोजाबाद।
- 10- खण्ड विकास अधिकारी, फिरोजाबाद।

bm

मुख्य विकास अधिकारी
फिरोजाबाद।